

राजस्थान सरकार
ऊर्जा विभाग

Chairman
DISCOMS
R.R. No. 138 Date 28.3.17

क्रमांक: प.7(22)ऊर्जा/2016

जयपुर दिनांक: 28-03-2017

अध्यक्ष,
राजस्थान डिस्कॉम्स,
जयपुर।

No. JPD/Dir (Fin)
R.R. 1557 dated 3/4/17

MD (J.V.V.N.L.)
R.R./No. 4-185
Date 3/4/17

विषय:- राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा टैरिफ रिविजन के दिनांक 22.09.2016 के आदेश अनुसार कृषि टैरिफ की दरों में की गई वृद्धि के अनुरूप डिस्कॉम्स को टैरिफ सब्सिडी उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके पत्र क्रमांक जेपीडी/अध्यक्ष डिस्कॉम्स/18 दिनांक 18.02.2017 के कम में राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा टैरिफ रिविजन के दिनांक 22.09.2016 के आदेश अनुसार कृषि टैरिफ की दरों में की गई वृद्धि के अनुरूप डिस्कॉम्स को टैरिफ सब्सिडी उपलब्ध करवाये जाने की निम्नानुसार सहमति प्रदान की जाती है:-

Agriculture metered (AG/FR/LT-4)

Particulars	Already Approved Tariff/Subsidy				Now Agreed Tariff/Subsidy			
	EC	Subsidy	EC After Subsidy	Fixed Charges	EC	Subsidy	EC After Subsidy	Fixed Charges
(i) General (getting supply in block hours)	Rs. 4.75/unit	Rs. 3.60/unit	Rs. 1.15/unit	Rs. 15/HP/month of sanctioned connected load (subsidy above Rs. 45/ connection/ month)	Rs. 4.75/- unit	Rs. 3.85/- unit	Rs. 0.90/- unit	Rs. 15/HP/month of sanctioned connected load (subsidy above Rs. 45/ connection /month)

Agriculture flat/Unmetered (AG/FR/LT-4)

Particulars	Already Approved Tariff/Subsidy				Now Agreed Tariff/Subsidy			
	EC	Subsidy	EC After Subsidy	Fixed Charges	EC	Subsidy	EC After Subsidy	Fixed Charges
(i) General (getting supply in block hours)	Rs. 635/HP/ Month	Rs. 515/HP/ Month	Rs. 120/HP/ Month	Rs. 15/HP/month of sanctioned connected load (subsidy above Rs. 15/ connection/ month)	Rs. 635/HP/ Month	Rs. 550/HP/ Month	Rs. 85/HP/ Month	Rs. 15/HP/month of sanctioned connected load (subsidy above Rs. 15/ connection/ month) 45/ connection/ month

उक्तानुसार टैरिफ बढ़ी हुई दरों अनुसार वास्तविक देय राशि वर्ष 2017-18 के संशोधित अनुमानों में उपलब्ध करवायी जावेगी। निगम वर्ष 2017-18 के संशोधित अनुमानों में प्रचलित प्रक्रिया अनुसार विद्युत उपभोग/लोड के वास्तविक आकड़ों के आधार पर टैरिफ सब्सिडी की समुचित प्रावधान करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 181700206 दिनांक 23.03.2017 के अनुसरण में प्रदान की जा रही है।

Office of the Chief
Accounts Officer (AT & R)
JVVNL JAIPUR
3 APR 2017
R. R. No. 34
Accountant

भवदीय,

(गोपाल जसोरिया)
शासन उप सचिव